बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
आदेश

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय हेतु स्वीकृत कुल 06 प्रशाखाओं का कार्य निम्नांकित रूप से आवंटित किया जाता है:–

क्र0 सं0	प्रशाखा का नाम	प्रशाखाओं का कार्य
1	प्रशाखा–1 (योजना)	(क) छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के योजना से संबंधित सभी कार्य। (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय युवा वाहिनी, नेहरू युवा केन्द्र, बिहार युवा आयोग इत्यादि से संबंधित कार्य। (ग) युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण। (घ) युवा कल्याण से संबंधित सभी कार्य।
2	प्रशाखा–2 (बजट)	(क) बजट से संबंधित सभी कार्य। (ख) बजट प्राक्कलन, आवंटन एवं प्रत्यर्पण। (ग) मासिक व्यय विवरणी का संकलन। (घ) CFMS/HRMS से संबंधित सभी कार्य।
3	प्रशाखा–3 (लेखा एवं क्रय)	(क) लेखा से संबंधित सभी कार्य। (ख) क्रय एवं भंडार से संबंधित सभी कार्य। (ग) वेतन भुगतान से संबंधित कार्य। (घ) लेखन सामग्री/उपस्कर/प्रपत्र कम्प्यूटर/दूरभाष, वाहन आदि से संबंधित सभी कार्य।
4	प्रशाखा–4 (अंकेक्षण)	(क) सभी योजनाओं के अंकेक्षण का कार्य। (ख) महालेखाकार /वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई। (ग) लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्रवाई। (घ) महानियंत्रक–सह–लेखा परीक्षक, भारत सरकार के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई। (ड़) विभाग के अंतर्गत अन्य कार्यालयों के व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र से संबंधित सभी कार्य। (च) महालेखाकार से वार्षिक लेखा सत्यापन का कार्य एवं समन्वय।
5	प्रशाखा–5 (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्थापना तथा निगरानी)	(क) छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय में पदस्थापित राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थापना से संबंधित सभी कार्य। (ख) छात्र एवं युवा कल्याण में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मचारियों के आरोप से संबंधित सभी कार्य। (ग) अराजपत्रित कर्मियों की गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ।

6	प्रशाखा–6 (विधि, विधायी एवं विविध कार्य)	(क) विधि एवं विधायी/संसदीय विषयों से संबंधित सभी कार्य। (ख) न्यायिक मामलों से संबंधित सभी कार्य (यथा रिट याचिका, अवमाननावाद आदि)। (ग) न्यायिक मामलों से संबंधित नोडल पदाधिकारियों के समीक्षात्मक कार्य । (घ) लोक अदालत से संबंधित सभी कार्य। (ङ) मानवाधिकार आयोग से संबंधित सभी कार्य। (च) विभागीय जन शिकायत कोषांग से संबंधित सभी कार्य। (छ) सूचना के अधिकार से संबंधित सभी कार्य। (ज) रिपार्ट रिर्टन संबंधी सभी कार्य। (झ) अन्य सभी कार्य जो किसी भी प्रशाखा को आवंटित नहीं हो।

ह0/–
(शंकर दयाल)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– टी–01/स्था0(05)मु0 –02/2026–1331 पटना, दिनांकः–23./09./2026

प्रतिलिपिः– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, विशेष नियोजन निदेशालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना/सचिव, बिहार युवा आयोग पटना/मुख्यालय में पदस्थातिप सभी पदाधिकारी, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 23/9/26
सरकार के संयुक्त सचिव